न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —31 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 36

श्रीमती मोहनी राठौर पत्नी स्व0 चौथमल राठौर निवासी मकान नम्बर 1321, विनोबाभावे नगर कोटा राजस्थान

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. पकज राठौर पुत्र स्व0 चौथमल राठौर निवासी मकान नम्बर 1321 विनोबाभावे नगर कोटा राजस्थान
2. श्रीमती सुनीता राठौर पत्नी पंकज राठौर निवासी मकान नम्बर 1321 विनोबाभावे, नकर कोटा राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 28.11.2024 उनवान श्रीमती मोहनी बाई बनाम पंकज राठौर वगै0 मि0नं0 32 / 2024

उपस्थितः—

1. श्री अपीलांट स्वयं. उपस्थित ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश राठौर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 09.07.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7, 21, व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोशण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पर वास्ते प्रार्थी का मकान नं0 1321 विनोबा भावे नगर कोटा के सम्पूर्ण मकान को खाली करवाकर कब्जा प्रार्थीया को दिलाने एवं प्रार्थीया को जब तक कब्जा नहीं मिल जावे तब तक अप्रार्थीगण से यूज एण्ड ओकूपेशन चार्जेज के रूप में 7000 / — मासिक दिलाने की प्रार्थना पर दिनांक 28.11.2024 को आदेश पारित किया है कि—" चूंकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी कम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपनी माता को कुल 5000 / — मासिक भरण पोषण हेतु जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषणराशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों ।"
2. उक्त आदेश दिनांक 21.11.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.12.2024 को पेश की गई है कि अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 32 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.11.2024 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय को पारित किए जाते समय ज्यूडिशियल माइंड का प्रयोग नहीं किया तथा कानून के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं उसका अवालोकन एवं विवेचन किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश राठौर का वकालतनामा पेश हुआ । दोराने बहस वकील अपीलांट अनुपस्थित, अपीलांट स्वयं उपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेन्ट को सुना गया ।

4. अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा यह साबित कर दिया गया था कि अपीलान्ट के पति चौथमल का खरीदशुदा मकान नम्बर 1321 विनोबा भावे नगर कोटा में स्थित है तथा अपीलान्ट के पति चौथमल की मृत्यु के बाद से ही उक्त मकान की मालिक व स्वामी है तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपीलान्ट को आये दिन लडाई झगडा करके अपीलान्ट के साथ मारपीट तक भी करते है तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 बहुत ही आपराधिक प्रवति का व्यक्ति है तथा पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट कम 1 मर्डर केस में काफी वर्षो तक जेल में रहा था तथा अपीलान्ट को आये दिन धमकियां देता है कि बुढिया को किसी रोज निपटा दूंगा । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त मकान से रेस्पोडेन्ट को बेदखल नहीं करने में भारी त्रुटि की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है । अपीलान्ट काफी वृद्व विधवा महिला है तथा रेस्पोडेन्टगण दोनों एक जुट होकर अपीलान्ट के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार कर घर में आतंक का माहोल बना रहता है, जिसके कारण अपीलान्ट का जीना दुभर हो रहा है तथा रेस्पोडेन्ट के डर के कारण पल पल में अपीलान्ट को अपनी जान का खतरा है । अपीलान्ट के उक्त मकान के असल दस्तावेजात इकरारनामा मुख्तार नामा, वसीयतनामा व अन्य सोने चांदी के जेवरात व सामान रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट के कमरे से निकाल लिये जो रेस्पोडेन्ट के कब्जे में है तथा अपीलान्ट उक्त मकान के समस्त दस्तावेजात व सामान जेवरात आदि रेस्पोडेन्ट से कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट के साथ उक्त विवादित मकान में रहना मुश्किल हो रहा है, यदि अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट उक्त विवादित मकान में रहे तो कभी भी गंभीर घटना कारित कर सकते है, लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 08.01.2025 को हुई तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सत्यप्रतिलिपि वकील साहब द्वारा अपीलान्ट को दी इस पर वकील साहब से सलाह करके यह अपील प्रस्तुत की है, निर्णय की नकल लेने में लगे समय आदि को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जावें । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के उक्त विवादित मकान नम्बर 1321, विनोबाभावे नगर कोटा से रेस्पोडेन्ट को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करें व अपीलान्ट के उक्त मकान के असल दस्तावेजात भी रेस्पोडेन्ट से अपीलान्ट को दिलाये जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तथा कथित मकान नं0 1321 विनोबाभावे नगर कोटा स्थित है जो अप्रार्थी कम 1 के पिता के जीवन काल से ही यानि मकान खरीद करने की तिथि से निरन्तर काबिज चला आ रहा है तथा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 का विवाह भी इसी मकान में हुआ है । पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का उक्त मकान में निवास करने वाला कथन कतई मिथ्या व मनबढन्त है । उक्त मकान नं0 1321 अकेले रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा खरीद नहीं किया गया बल्कि मकान खरीदने में 2,00,000/– राषि उधार लाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपने पिता चौथमल जी को दी थी जिससे मकान खरीद किया गया है और तभी से रेस्पोडेन्ट नं0 1 अपने पिता के जीवनकाल से मकान पर अपीलान्ट सहित बतौर मालिक निवास करता आ रहा है तथा अपीलान्ट के लाइसेन्सी नहीं है तो अपीलान्टा न तो रेस्पोडेन्टगण को बेदखल कराने की अधिकारी है और न ही किसी प्रकार का यूज एण्ड ओक्यूपेशन चार्जेज प्राप्त करने की अधिकारी है तथा इसके अलावा रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपीलान्ट को उसके अलग खाना बनने के दौरान भी उसके खर्चे हेतु पूर्व अनुसार 5,000/– माहवार नियमित रूप से अदा किया जा रहा है । यह मात्र अवांछित लोगों के बहकावे में आकर अनुचित दबाव बनाकर पैसा ऐंठने की दुर्भावना से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है

। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुना जाकर उचित न्याय करते हुए 5000/– बतौर भरण पोषण राशि जर्ये बैंक खाता अदा करने के आदेश दिया है जो उचित होने से प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2024 के विरूद्व दिनांक 13.02.2025 को पेश की गई है जो निर्धारित मियाद 60 दिवस के बाद प्रस्तुत होने से मियाद बाहर है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया ओर मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जानी से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है । प्रार्थीया अपीलांट वर्णित मकान नम्बर 1321 विनोबाभावे नगर कोटा से रेस्पोडेन्टगण की बेदखली चाहती है, अपीलान्ट का कथन है कि उक्त वर्णित मकान उनके पति चौथमल द्वारा खरीद किया हुआ होने से पति की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण मकान के वह स्वामिनी है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन है कि उक्त वर्णित मकान उनके पिता के समय खरीद किया था जिसमें उनके द्वारा भी 2,00,000/–रूपये की राषि उनके द्वारा उनके पिता को दी थी, जिससे उक्त मकान पर उनका भी मालिकाना हक एवं अधिकार होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की पुष्टि में उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कोटा एवं पुलिस महानिरीक्षक कोटा को दिये गये परिवाद की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें उक्त वर्णित मकान के दस्तावेज के रूप में केवल एक इकरारनामा 14.03.2009 का संलग्न है जिसमें विकेता सलीम खान द्वारा केता चौथमल राठौर को उक्त वर्णित मकान बेचने की पुष्टि होती है, किन्तु अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम के रजिस्टर्ड दस्तावेज पट्टा आदि किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है । उक्त वर्णित मकान अपीलांट के पति एवं रेस्पो0 नं0 1 के पिता द्वारा जरिये इकरारनामे के क्रय किया गया है जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, चौथमल जी के स्वर्गवास के बाद हम मानते है कि अपीलांटा प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है किन्तु उक्त वर्णित मकान में रेस्पोडेन्ट नं0 1 को भी अधिकारों से वंचित किया जाना उचित नहीं है, अपीलांट की प्रार्थना केवल रेस्पोडेन्टगण को मकान से बेदखल करना है जिसे हम उचित नहीं मानते है, अधिनियम की मंशा अनुसार वृद्वावस्था में अपीलान्ट को भरण पोषण, बीमारी आदि में अपने परिवार बच्चों का ही सहारा होता है, यदि रेस्पोडेन्टगण को उक्त वर्णित मकान से बेदखल कर भी दिया जाता है तो अपीलान्ट की बुढापे में देखभाल की ओर समस्या पैदा हो सकती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार कर बतौर भरण पोषण 5000/– जरिये बैंक खाते की अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से दिलाने के आदेश पारित किये है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है किन्तु रेस्पोडेन्ट को भी पाबन्द किया जाता है कि वह अपीलान्ट के साथ बुरा बर्ताव, लड़ाई झगड़ा नहीं करें तथा उक्त वर्णित मकान में शांतिपूर्वक निवास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है ।

6 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवंठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2024 यथावत रखा जाता है किन्तु रेस्पोडेन्टगण को भी पाबन्द किया जाता है कि वह अपीलान्टा के वृद्वावस्था को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बुरा–बर्ताव, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करें, मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं तथा उक्त वर्णित मकान में शांतिपूर्वक निवास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

7 निर्णय आज दिनांक .7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारियां)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा